

# राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा राज0

मे0नं0

140 / 2023

तारीख दायरा

18.09.2023

तारीख फैसला

9.12.2023

उनवान

1- जयप्रकाश पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासी रेल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0  
( वादी )

बनाम

- 1- राधाकिशन पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासी रेल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
- 2- बिरजी बाई पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी रेल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
- 3- सुगना बाई पत्नी राधाकिशन जाति धाकड निवासी रेल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
- 4- महेश पुत्र मोहनलाल ( माता मनभर बाई ) जाति धाकड निवासी रेल हाल निवास 3 एम 11 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा राज0
- 5- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

( प्रतिवादीगण )

वादी की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से– श्री पंकज मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी की ओर से निम्न आधारों पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:-

- 1- संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण की शामिलता खाते की आराजी ग्राम रेल पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 230, पुराना 329 पर दर्ज खसरा नम्बर 12 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 1208 रकबा 0.57 हे0, ख0नं0 1212 रकबा 0.66 हे0, ख0नं0 1234 रकबा 0.83 हे0, ख0नं0 15 रकबा 0.79 हे0, ख0नं0 25 रकबा 0.45 हे0, ख0नं0 602 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 646 रकबा 1.68 हे0, ख0नं0 661 रकबा 1.21 हे0, कुल 9 कित्ता की रकबा 8.02 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 संलग्न है। जिसमें वादी का 5/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
- 2- यह कि वादी व प्रतिवादीगण की शामिलता खाते की आराजी ग्राम रेल पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 231, पुराना 330 पर दर्ज खसरा नम्बर 1139 की रकबा 0.41 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 संलग्न है। जिसमें भी वादी का 5/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।



श्री भारत शर्मा  
एडवोकेट  
राज0 सरकार  
दीगोद जिला कोटा राज0



सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा राज0



राज0 सरकार  
दीगोद जिला कोटा राज0

3- यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमियों में वादी का ग्राम रेल में 5/24 व 5/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी अपने हिस्से 5/24 व 5/12 की भूमि पर काबिज काश्त करते चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण संयुक्त खातदार अपने अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

4- यह कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते दर्ज हान के कारण वादी को किसान क्रेडिट कार्ड व भूमि के अन्य विकास कार्य करवाने में परेशानी हो रही है। इस लिये वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना हिस्सा पृथक से खाते दर्ज करवाये जाने का अधिकारी है।

5- यह कि वादी ने प्रतिवादीगणों से उक्त आराजीयात का बंटवारा करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगणों ने साफ इन्कार कर दिया एवं वादी को धमकी दी की तेरे हिस्से को अलग नहीं करवाने देगे बल्कि तेरे हिस्से की भूमि पर काश्त करके रहेगे। भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने के कारण भूमि को रहन, बेचान करने एवं कब्जा करने तथा मुनाफा काश्त पर जुपाने की धमकी देते हैं। तथा आये दिन वादी के हिस्से की आराजी पर दखलन्दाजी करते हैं। तथा प्रतिवादीगणों के खिलाफ व वादी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण उक्त वाद पत्र में मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि को रहन बेचान नहीं करें। वादी को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें। वादी को काश्त करने देवे, वादी की काश्त व्यवस्था में व्यवधान पैदा न करें। वादी को शान्ति पूर्वक काश्त करने दें।

6- यह कि वाद कारीण दिनांक 01.09.2023 को वादी ने प्रतिवादीगणों से उक्त भूमि का बंटवारा करवाये जाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगणों ने साफ इन्कार कर दिया एवं कहा की बिना विभाजन करवाये उक्त आराजी के भू भाग को बेचान कर देंगे।

7- यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगणों के खिलाफ विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

उक्त आराजी को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:-

कि वादी व प्रतिवादीगण की शामिलता खाते की आराजी ग्राम रेल पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 230, पुराना 329 पर दर्ज खसरा नम्बर 12 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 1208 रकबा 0.57 हे0, ख0नं0 1212 रकबा 0.66 हे0, ख0नं0 1234 रकबा 0.83 हे0, ख0नं0 15 रकबा 0.79 हे0, ख0नं0 25 रकबा 0.45 हे0, ख0नं0 602 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 646 रकबा 1.68 हे0, ख0नं0 661 रकबा 1.21 हे0, कुल 9 किता की रकबा 8.02 हे0 भूमि जिसमें वादी का 5/24 हिस्सा तथा ग्राम रेल की खाता संख्या नया 231, पुराना 330 पर दर्ज खसरा नम्बर 1139 की रकबा 0.41 हेक्टर भूमि जिसमें वादी का 5/12 हिस्सा पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पृथक से खसरा नम्बर व लगान तय किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये:-

1- नकल जमाबन्दी खाता सं0 231 ग्राम रेल सम्वत 2075-2078


2- नकल जमाबन्दी खाता सं0 230 ग्राम रेल सम्वत 2075-2078



सदर मुद्दा  
दीगोद तहसील  
दीगोद जिला नया (राज)



तालुका विभागायुक्त  
दीगोद जिला नया (राज)

  
सदर मुद्दा  
दीगोद तहसील  
दीगोद जिला नया (राज)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी विधिवत करवायी गई। पत्रावली आज दिनांक 9.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में पेश हुई। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है।

प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने पर उभय पक्ष के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका में सहमति से अपने अपने हस्ताक्षर किये गये।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:-

#### प्रस्तुत राजीनामा

1- यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी ग्राम रेल पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 230, पुराना 329 पर दर्ज खसरा नम्बर 12 रकबा 1.75 हे०, ख०नं० 1208 रकबा 0.57 हे०, ख०नं० 1212 रकबा 0.66 हे०, ख०नं० 1234 रकबा 0.83 हे०, ख०नं० 15 रकबा 0.79 हे०, ख०नं० 25 रकबा 0.45 हे०, ख०नं० 602 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 646 रकबा 1.68 हे०, ख०नं० 661 रकबा 1.21 हे०, कुल 9 किता की रकबा 8.02 हे० भूमि जिसमें वादी का 5/24 हिस्सा तथा ग्राम रेल की खाता संख्या नया 231, पुराना 330 पर दर्ज खसरा नम्बर 1139 की रकबा 0.41 हेक्टर भूमि जिसमें वादी का 5/12 हिस्सा भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है जो निम्न प्रकार से पेश है। जिसमें सभी पक्षकारान सहमत है। उक्त भूमि का सहमति के आधार पर बंटवारा करवाना चाहते है। जो राजीनामा बंटवारा निम्न प्रकार से है:-

(1) कि वादी जयप्रकाश व प्रतिवादी नं० 1 राधाकिशन के हिस्से में आयी भूमि-			
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 12	रकबा 1.75 हे०	माल प्रथम
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 15	रकबा 0.79 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 25	रकबा 0.45 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 1212	रकबा 0.66 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 1139	रकबा 0.41 हे०	माल द्वितीय

कुल किता 5 की रकबा 4.06 हेक्टर भूमि			
(2) कि प्रतिवादी नं० 2 बिरजी बाई के हिस्से में आयी भूमि-			
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 1234	रकबा 0.83 हे०	माल द्वितीय

कुल किता 1 की रकबा 0.83 हे०			
(3) कि प्रतिवादी नं० 3 सुगना बाई के हिस्से में आयी भूमि-			
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 661	रकबा 1.21 हे०	माल द्वितीय

कुल किता 1 की रकबा 1.21 हे०



Advocate  
राज्य



तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज्य)



राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा (राज्य)

कि प्रतिवादी नं० 4 महेश के हिस्से में आयी भूमि-

ग्राम रेल	खसरा नम्बर 1208	रकबा 0.57 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 602	रकबा 0.08 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 646	रकबा 1.68 हे०	माल द्वितीय

कुल किता 3 की रकबा 2.33 हेक्टर

यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में राजीनामा करके उक्त आराजी में बंटवारा कर लिया है जो वादी व प्रतिवादी की सहमति से हुआ। वाद को राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की जावे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र निर्णय व डिक्री पारित फरमाये जाये।

प्रस्तुत राजीनामा शामिल मिसल किया गया। प्रकरण को बहस पर नियत किया जाकर बहस वादी-प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अवलोकन करने पर विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम रेल पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 230, पुराना 329 पर दर्ज खसरा नम्बर 12 रकबा 1.75 हे०, ख०नं० 1208 रकबा 0.57 हे०, ख०नं० 1212 रकबा 0.66 हे०, ख०नं० 1234 रकबा 0.83 हे०, ख०नं० 15 रकबा 0.79 हे०, ख०नं० 25 रकबा 0.45 हे०, ख०नं० 602 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 646 रकबा 1.68 हे०, ख०नं० 661 रकबा 1.21 हे०, कुल 9 किता की रकबा 8.02 हे० भूमि तथा ग्राम रेल की खाता संख्या नया 231, पुराना 330 पर दर्ज खसरा नम्बर 1139 की रकबा 0.41 हेक्टर भूमि में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है:-

राजीनामा

1- यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामिल की आराजी ग्राम रेल पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 230, पुराना 329 पर दर्ज खसरा नम्बर 12 रकबा 1.75 हे०, ख०नं० 1208 रकबा 0.57 हे०, ख०नं० 1212 रकबा 0.66 हे०, ख०नं० 1234 रकबा 0.83 हे०, ख०नं० 15 रकबा 0.79 हे०, ख०नं० 25 रकबा 0.45 हे०, ख०नं० 602 रकबा 0.08 हे०, ख०नं० 646 रकबा 1.68 हे०, ख०नं० 661 रकबा 1.21 हे०, कुल 9 किता की रकबा 8.02 हे० भूमि जिसमें वादी का 5/24 हिस्सा तथा ग्राम रेल की खाता संख्या नया 231, पुराना 330 पर दर्ज खसरा नम्बर 1139 की रकबा 0.41 हेक्टर भूमि जिसमें वादी का 5/12 हिस्सा शूमे स्थित दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है जो निम्न प्रकार से पेश है। जिसमें सभी पक्षधारक सहमत है। उक्त भूमि का सहमति के आधार पर बंटवारा करवाना चाहते हैं। जो राजीनामा बंटवारा निम्न प्रकार से है:-



Advocate  
दीगोद जिला कोटा (राज.)



Advocate  
दीगोद जिला कोटा (राज.)



Advocate  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

कि वादी जयप्रकाश व प्रतिवादी नं० 1 राधाकिशन के हिस्से में आयी भूमि-			
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 12	रकबा 1.75 हे०	माल प्रथम
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 15	रकबा 0.79 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 25	रकबा 0.45 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 1212	रकबा 0.66 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 1139	रकबा 0.41 हे०	माल द्वितीय

कुल किता 5 की रकबा 4.06 हेक्टर भूमि

(2) कि प्रतिवादी नं० 2 बिरजी बाई के हिस्से में आयी भूमि-			
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 1234	रकबा 0.83 हे०	माल द्वितीय

कुल किता 1 की रकबा 0.83 हे०

(3) कि प्रतिवादी नं० 3 सुगना बाई के हिस्से में आयी भूमि-			
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 661	रकबा 1.21 हे०	माल द्वितीय


कुल किता 1 की रकबा 1.21 हे०


(4) कि प्रतिवादी नं० 4 महेश के हिस्से में आयी भूमि-			
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 1208	रकबा 0.57 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 602	रकबा 0.08 हे०	माल द्वितीय
ग्राम रेल	खसरा नम्बर 646	रकबा 1.68 हे०	माल द्वितीय


कुल किता 3 की रकबा 2.33 हेक्टर

तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमे आम में सुनाया गया।

  
 तहसीलदार  
 दीगोद जिला कोरा (राज.)

  
 तहसीलदार  
 दीगोद जिला कोरा (राज.)

  
 तहसीलदार  
 दीगोद जिला कोरा (राज.)